कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां (राज.)

क्रमांक : स्था./ दिनांक :

आ दे श

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक G/I/A-4(i)(a)162/2022/702 दिनांक 24.07.2025 द्वारा एकल पीठ आपराधिक विविध सजा के निलम्बन आवेदन संख्या 1687/2024 बउनवान इब्रा उर्फ इबरान बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 24.07.2025 को पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 24.07.2025 मे जिला न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारीगण के दिनांक 18.07.2025 से अनिश्चितकालीन सामुहिक अवकाश पर रहने के कृत्य को अवैधानिक मानते हुये, समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया है कि वे दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 10 बजे अपने–अपने कार्यस्थलों पर उपस्थिति देवें।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 24.07.2025 की पालना में बारां न्यायक्षेत्र के समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 10 बजे अपने–अपने कार्यस्थल पर कार्य करने हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित आयें अन्यथा अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारीगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी तथा दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 10:30 बजे जिला कलेक्टर बारां एवं पुलिस अधीक्षक बारां से मीटिंग करके न्यायालयों में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक उपचार काम में लिये जायेंगे। वैकल्पिक कार्य व्यवस्था के दौरान अभिलेख के गायब हो जाने पर उसके लिए उस सीगे पर नियुक्त एवं संबंधित स्थायी कर्मचारी ही उत्तरदायी होगा।

–Sd–
जिला एंव सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज.)

क्रमांक :– 1659 – 1661 दिनांक :– 24.7.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. बारां न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देश है कि अविलम्ब इस आदेश की प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें तथा कर्मचारीगण को व्हाट्सअप एवं अन्य माध्यमों से सूचित करें।
2. वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय बारां को निर्देश है कि इस आदेश की प्रति कार्यालय हाजा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें तथा बारां न्यायक्षेत्र के समस्त कर्मचारीगण को व्हाट्सअप व अन्य उचित माध्यमों से निर्देश की पालना करने हेतु पाबन्द करें।
3. अध्यक्ष, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा बारां को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति सहित प्रेषित कर निर्देश है कि बारां न्यायक्षेत्र के समस्त कर्मचारीगण को व्हाट्सअप व अन्य उचित माध्यमों से निर्देश की पालना हेतु पाबन्द करें।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बारां को निर्देश है कि इस आदेश को अविलम्ब बारां न्यायक्षेत्र की वेबसाईट पर अपलोड करें।

Ashok Jadhav
जिला एंव सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज.)